रजिस्ट्रेशन संख्या :- R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :- Kanpur City - 67/2015-2017

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :-
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 एस जूही, कानपुर-208014

वर्ष -39 • अंक -13 • कानपुर 1 से 15 जुलाई 2017 • प्रधान सम्पादक - डा० एन० एच० इदरीसी • वार्षिक मूल्य - ₹ 100

13 जून 2017 के जारी पत्र में

एक और नेक हो जाने की सलाह दी भारत सरकार ने

- ✓ 7 प्रपोजल हुए खारिज
- ✓ भविष्यवाणी हुई सही साबित
- ✓ अभी भी अवसर
- ✓ एक्सपर्ट कौन है ? समझिये
- ✓ पुलिन्दा नहीं ! छोटा
- ✓ दावों पर रहिये स्थिर

इन दिनों पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक भूचाल सा आया हुआ है, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बड़े नेतृत्वकर्ता बन रहे थे वही आज परेशान हैं परेशानी का कारण भी वह स्वयं हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नई दिशा तय कर रही है 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मैकेनिज्म के लिए कुछ जानकारियां मांगी थीं और उन जानकारियों को सरकार तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने क्रमशः 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर तक का समय दिया था परन्तु हमारे साथियों में जल्दी पहुँचने की इतनी होड़ थी कि उन्होंने जरा भी इंतजार करना उचित नहीं समझा और जो मन ने चाहा वह प्रेषित कर दिया।

सरकार ने इन प्रपोजलों को शायद उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितनी प्राथमिकता की हमारे साथी अपेक्षा कर रहे थे प्राथमिकता मिलती भी तो कैसे मिलती ?चूंकि सरकार जितना कुछ चाहती है वह हमारे साथी या तो दे नहीं पा रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं तभी तो सकारात्मक परिणाम की जगह निरर्थक परिणाम सामने आये और सरकार को भी चेतावनी देने का एक अवसर प्राप्त हुआ इन्हीं दिये गये सात प्रपोजलों को प्रामाणिक समीक्षा के बाद सरकार ने इन प्रपोजलों को अस्वीकार कर दिया है।

अब जो भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे उन्हें आत्ममंथन करना चाहिये फिर अपने लिए नई दिशा तय करनी चाहिये गजट के माध्यम से हम लगातार अपने पाठकों को यह सूचित करते रहते हैं कि सरकार की इच्छा क्या है ? आपको याद दिला दें कि पिछले अंक में गजट में एक समाचार प्रकाशित हुआ था "उत्पत्ति व पाठ्यक्रम में संशोधन के बिना प्रपोजल अधूरे पहली ही नजर में सरकार कर देगी खारिज" जो आशंका हमें थी वह सामने आयी। हमारे साथी शायद हमारी इस बात से सहमत नहीं थे, कुछ ने तो इसको मजाक बनाया था लेकिन 13 जून, 2017 का पत्र हमारी आशंका को सत्य सिद्ध कर रहा है, जिन लोगों ने प्रतिवेदन भेजे थे उन्हें शिक्षा लेनी चाहिये कि उनके प्रतिवेदनों का क्या हश्र हुआ ?सरकार ने प्रतिवेदनों की जाँच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की बात की थी परन्तु यह प्रतिवेदन उस कमेटी तक पहुँचने से पहले ही रद्द कर दिये गये यह अपने आप में बहुत बड़ी शिकस्त है।

सरकार ने प्रतिवेदन तो रद्द किये तो किये ही साथ ही साथ यह भी दे डाली कि सरकार को बड़े प्रपोजलों की आवश्यकता नहीं है जो वांछित और आवश्यक हो वही सरकार को प्रेषित करें साथ ही साथ सरकार ने यह भी राय दे डाली कि एक स्तर पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायें उन्हीं पर सरकार विचार करेगी, हम आपको बताते चलें कि यह कौन से संगठन हैं जिन्होंने मार्च में प्रतिवेदन दिये और प्रथम आवृत्ति में ही रेस से बाहर हो गये। सबसे पहला प्रपोजल कटक उड़ीसा के डा० मनोज कुमार महंता ने 27 मार्च, 2017 को प्रेषित किया वह एक चिकित्सकों का संगठन चलाते हैं, 28 मार्च, 2017 को गुजरात अहमदाबाद के डा० बी० के० सिंह ने प्रपोजल भेजा यह मान्यता संघर्ष कमेटी से जुड़े हैं, तीसरा प्रतिवेदन एन० ई० एच० एम० ऑफ इण्डिया के डा० एन० के० अवस्थी द्वारा 28 मार्च, 2017 को, उसके बाद डा० अशोक कुमार बुलन्दशहर उ०प्र० से यह विविध कार्यक्रमों से जुड़े हैं, डा० एस० एन० लाल गोरखपुर उ० प्र० से 15-4-2017 को, यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शैक्षिक संगठनों से जुड़े हैं, फिर डा० एस० के० विश्वास पश्चिम बंगाल मिदनापुर यह भी अपेक्स में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एशोसिएशन से जुड़े हैं अन्तिम नाम डा० प्रभात कुमार पात्र पश्चिम बंगाल कोलकाता से यह एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी विद्यालय के प्राचार्य हैं इन सभी लोगों ने भारत सरकार के पास मान्यता से सम्बन्धित प्रपत्र प्रेषित किये जिसे सरकार ने प्रामाणिक स्तर पर निरीक्षण करके ही बाहर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही साथ एक बार फिर सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें सिर्फ 8 बिन्दुओं पर जानकारी की आवश्यकता है। यह 8 बिन्दु क्रमशः इस प्रकार हैं:-

- नं० 1- इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाणिक दस्तावेज।
- नं० 2- विकास की क्रमबद्ध यात्रा व अनुसंधान कार्य।
- नं० 3- चिकित्सकीय कार्य व उनकी उपादेयता।
- नं० 4- पद्धति की सुरक्षा।
- नं० 5- संचालित शिक्षण संस्थानों की सूची व स्टाफ।
- नं० 6- कैरीकुलम (पाठ्यक्रम)।
- नं० 7- विशेषज्ञों की सूची (चिकित्सकों की)।
- नं० 8- जनहित में प्रकाशित साहित्य।

अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसका जवाब हमें पुलिन्दों में देना है ?एक से लेकर आठ तक सभी प्रश्नों के उत्तर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में विद्यमान हैं इसलिए सरकार की इस चेतावनी से हम सबको सबक लेना होगा और विवेक का प्रयोग करते हुए उत्तर देने होंगे।

इस पत्र से ऐसा आभास होता है कि सरकार एक फेडरल प्रपोजल चाहती है जिसमें सम्बन्धित सभी लोगों का योगदान अंकित हो, साथ ही साथ सरकार ने यह भी चाहा है कि अनावश्यक व अवांछित प्रपत्र कतई न प्रेषित किये जावें वैसे कहने को तो सरकार ने उपरोक्त सातों लोगों को अवसर दिया है कि दो तीन महीने के अन्दर प्रतिवेदन प्रेषित कर सकते हैं अब 28 फरवरी, 2017 और 13 जून, 2017 के पत्रों में महत्वपूर्ण अन्तर है, हमारे साथियों की दृष्टि इसपर पड़ी है कि नहीं 28 फरवरी के पत्र का विषय था **Mechanism for consideration of proposal for recognition to new/alternative systems of medicine** और 13 जून, 2017 को जब भारत सरकार ने दूसरा पत्र जारी किया तब उसका विषय ही बदल गया यह विषय अब *Examination of viability of Electropathy/Electrohomoeopathy as a system of medicine by Inter-Departmental committee Matters relating to.* हो गया है।

4 महीने के अन्दर विषय का बदलाव होना अपने आप में महत्व रखता है हमारे साथियों को इस बिन्दु पर गम्भीरता से सोचना चाहिये कि अब जो भी प्रपोजल भेजे जायें वह प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकार न हों कम से कम उस कमेटी तक तो पहुँच ही जायें जहाँ हमारे दावों की जाँच होनी है।

सत्य तो यह है कि जो कुछ भी स्थितियां बिगड़ रही हैं उसमें कहीं न कहीं हम सबका अहं आड़े आ रहा है, आज हर प्रपोजल में वैज्ञानिकता की बात की जा रही है जब कि वैज्ञानिकों के बारे में व इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वैज्ञानिकता के सन्दर्भ में कोई बात सरकार द्वारा की ही नहीं गयी।

सरकार ने एक्सपर्ट की बात की है किसी भी चिकित्सा विधा का विशेषज्ञ वही होता है जो उस विषय में जानकार होने के साथ-साथ उसी विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो यहीं पर हमारे कथित मित्र भ्रमित हो रहे हैं एक्सपर्ट को वह वैज्ञानिक के रूप में देख रहे हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वैज्ञानिक कसौटी सरकार कई बार कर चुकी है और उसके परिणाम भी सरकार के पास उपलब्ध हैं, यह यदि चिकित्सा पद्धति अवैज्ञानिक होती तो भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति कभी भी इसके चलते रहने की अनुशंसा नहीं करती। 25 नवम्बर, 2003 का पत्र इस विषय पर अपनी स्पष्टता स्वयं प्रकट करता है, किसी भी पद्धति का शैशवावस्था में होना अलग बात है आज का शिशु ही कल का युवा होता है यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ होता तो उसके विकास की गति कुछ और ही होती यहाँ तो कदम-कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा है, कभी-कभी तो अस्तित्व की रक्षा के लिए ही जूझना पड़ा है, जो वक्त था वह गुजर चुका है।

हमें वर्तमान में जीना है अपितु वर्तमान परिस्थितियों में जीते हुए आगे की राह बनानी है प्रपोजल देना और सरकार द्वारा तत्पश्चात विचार करना दोनों अलग-अलग बातें हैं कुछ भी हो हमें यदि आगे बढ़ना है तो सरकार के साथ मिलजुल कर चलना होगा और जब-जब जो जो सूचनायें सरकार हमसे मांगे हमें वह देनी होंगी और वह देने व लेने की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जबतक कि मान्यता से सम्बन्धित प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हो जाता।

पारदर्शिता का अभाव

"किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि किये जा रहे कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किये जायें जिस कार्य में पारदर्शिता का भाव होता है उसकी विश्वसनीयता स्वयं संदिग्ध हो जाती है"...

आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पारदर्शिता का पूर्ण अभाव है, पिछले दिनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एक संगठन ने दिल्ली में एक बैठक की और यह घोषणा की कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी, 2017 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके हर बिन्दु का पालन करते हुए एक प्रपोजल भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, इसके लिए एक तारीख 9 जून को निश्चित किया गया। 9 जून, 2017 को सुप्रीमकोर्ट परिसर में कुछ लोग एकत्रित होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं तथा फेसबुक व वाट्सएप के माध्यम से यह सूचना प्रसारित की जाती है कि देश के महान इलेक्ट्रो होम्योपैथों की एक मीटिंग हुई जिसमें दिये जाने वाले प्रपोजल का मसौदा तैयार किया गया।

जब यह समाचार फेसबुक के माध्यम से सार्वजनिक हुआ तो कुछ जागरूक लोगों ने यह प्रश्न किया कि प्रपोजल का क्या हुआ ?इसपर जिम्मेदार लोगों ने उत्तर देते हुए लिखा कि विचार किया जा रहा है, दूसरी मजेदार बात यह है कि इसी दिन एक आवश्टीफाइड भी प्रकाशित की गयी जो 01 फरवरी, 2017 को भारत सरकार को भेजी गयी थी, इसको प्रपोजल की उपलब्धि बनाकर प्रस्तुत किया गया, अब यह समझने की बात है कि यह कौन सी उपलब्धि है ?क्या हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथ इतना नादान है कि उसे तारीखें भी गिनती नहीं आती ! अब इस तरह की बातें मात्र इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मध्य ही नहीं अपितु उन लोगों के मन में भी अविश्वसनीयता का भाव पैदा करते हैं जो किसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं। कितना हास्यास्पद है कि 01 फरवरी, 2017 को कोई भी नहीं जानता था कि भारत सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, इस तरह की अपकवाली बातें निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी छवि नहीं बना रही। जो कुछ भी किया जाये सच बताया जाये क्योंकि सच हरदम सच होता है और लोगों को यह भ्रम नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है ?

विश्वास दिलाकर विश्वासघात करना किसी अपराध से कम नहीं होता इसमें अस्तु , किन्तु , परन्तु के लिए कोई स्थान नहीं होता, हमारे साथियों ने अपना है कि यह समय ले ली है कि उन्हें समाज में भ्रम फैलाना है, इसका दूसरा उदाहरण 10 जून, 2017 का है उस दिन किसी पत्रिका का विमोचन होना था और उस विमोचन के कार्यक्रम में कुछ मीडिया के लोगों के साथ-साथ कुछ राजनीतिज्ञों को भी आना था, पर इस कार्यक्रम को इस तरह से प्रचारित किया गया जैसे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है ! भले ही इस कार्यक्रम को किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठन के साथ जोड़ा गया पर इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सीधा सीधा क्या लाभ होगा ?इस तरह की घटनायें इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक नई स्थिति को जन्म देती हैं जो किसी भी सूरत में लाभकारी नहीं होती हैं और न ही समाज को और न ही कार्यक्रम के आयोजकों को , हमारे जो साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस आन्दोलन से जुड़े हैं उन्हें इस बात को हर समय ध्यान में रखना चाहिये कि वह जिस आन्दोलन को चला रहे हैं वह आन्दोलन किसी एक दो सौ लोगों के लिए नहीं है अपितु यह आन्दोलन देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथों के भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। आपका एक गलत कदम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भविष्य पर कुठाराघात हो सकता है, इसलिए हमारे वह सारे साथी जो कर्णधार हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित चाहते हैं वह अपनी सोच में हल्का सा परिवर्तन लायें।

स्वार्थ को छोड़कर उत्साह के साथ इस आन्दोलन को आगे बढ़ायें कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी इतनी पुरानी है कि उसकी उपयोगिता व लाभ पर कोई प्रश्नचिन्ह लग ही नहीं सकता।

जो दावे हमारे साथी करते हैं निश्चित रूप से वह दावे पूरे होंगे बशर्ते कोई सरकारी इकाई हमारे दावों का मूल्यांकन करने तो आगे आवे, समय अब ज्यादा नहीं लगने वाला है, सफलता हमारा द्वार खटखटा रही है बस हम अच्छे कार्य करें।

सबकुछ केन्द्रीय हो रहा है

पिछले दो तीन वर्षों से भारत सरकार चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहुत ध्यान दे रही है, इसी परिपेक्ष में भारत सरकार ने बहुत सारे परिवर्तन किये और उनका क्रियान्वयन भी हुआ,सरकार चाहती है कि मेडिकल के क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जो पारदर्शी हो और जिसका लाभ सम्पूर्ण भारत एक तरह से उठा सके, इसी उद्देश्य से तरह-तरह के प्रयोग किये जा रहे हैं यह सरकार जितना ध्यान एलोपैथी में दे रही है उतना ही ध्यान परम्परागत एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी दे रही है, राज्य सरकारें और केन्द्र सरकारों में परस्पर तनाव न रहे इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि सामंजस्य बना रहे और कार्य भी होता रहे। आपको याद होगा कि कुछ वर्षों पहले तक एलोपैथी में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगितात्मक परीक्षायें आयोजित की जाती थीं जिनमें राज्य के छात्र बैठते थे और सफल अभ्यर्थी मेडिकल शिक्षा के लिए प्रवेश लेते थे, तब इसे पी०एम०टी० के नाम से जाना जाता था। समय बदला सरकार की दृष्टि बदली तब सरकार ने वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी ध्यान दिया और इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी योगा एवं सिद्धा के विकास के लिए व उन्नीकरण के उद्देश्य से इन पद्धतियों के प्रवेश के लिए भी एक सम्मिलित प्रवेश परीक्षा का प्रयोग किया गया जिसे सी०पी०एम०टी० का नाम दिया गया लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एलोपैथी के प्रवेश में अनियमितायें पायी गयीं जिनसे केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि मेडिकल की प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिये और इसका लाभ हर राज्य को मिले इसी उद्देश्य से एक राष्ट्रीय परीक्षा का आयोजन हुआ जिसे NEET के नाम से जाना जाता है। NEET के सफल आयोजन के बाद केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि एलोपैथी की तरह अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का आयोजन भी राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाये और उसे NEET से जोड़ा जावे, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरफ पहल कर दी है और प्रदेश में आयुष की प्रवेश परीक्षा भी NEET के माध्यम से कराने का मन बना लिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका सम्बन्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैसे है और हम इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं इसका सीधा-सीधा अर्थ यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा विधा है इसका स्वरूप भी राष्ट्रीय है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए जो आदेश जारी हुए हैं वह राष्ट्रीय स्तर के हैं हर राज्य सरकार को इन आदेशों का अपने अपने राज्यों में क्रियान्वयन करना है। 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के लिए जारी आदेश इस बात का प्रमाण है कि केन्द्र सरकार पहले से ही इलेक्ट्रो होम्योपैथों के लिए केन्द्रीय व्यवस्था चाहती है चूंकि आदेश एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के नाम है और आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी है, जब तक सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाया जाता तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के निर्देशानुसार होता रहेगा।

किसी भी कार्य को करने के लिए किसी संगठन या समूह को अधिकार दिये जाते हैं वह समूह या वह संगठन प्राप्त आदेशों के अनुसार कार्य करता है भारत वर्ष में 21 जून, 2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए यह अधिकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया को दिये गये हैं इसलिए जब तक इस चिकित्सा पद्धति का विनियमितीकरण नहीं होता तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया ही एक नीतिनियामक संस्था के रूप में कार्य करती रहेगी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ायेगी अभी 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्रदर्शित कर रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी केन्द्रीय करण ही होना है वैसे हमारे सभी चिकित्सक साथीगण इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारत वर्ष में चिकित्सा की शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था व संसाधनों का निर्धारण केन्द्रीय स्तर पर होता है तथा चिकित्सा व्यवसाय कैसे किया जायेगा इसका निर्धारण राज्य स्तर पर होता है जैसे चिकित्सा का कोई भी पाठ्यक्रम देश के किसी भी कोने से किया जा सकता है परन्तु प्रैक्टिस हेतु पंजीयन उसी राज्य में कराना होता है जिस राज्य में चिकित्सक को चिकित्सा व्यवसाय करना होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी भी कुछ संस्थायें ऐसी हैं जो सब कुछ केन्द्रीय स्तर पर करती हैं अर्थात कुछ संस्था ऐसी हैं जो दिल्ली या किसी राज्य में अपना केन्द्रीय कार्यालय बनाती हैं और उसी राज्य की क्षमता के अनुसार वह चिकित्सक का पंजीयन करती हैं तथा वह दावा करती हैं कि इसी पंजीयन के आधार पर आप पूरे देश में चिकित्सा व्यवसाय कर सकते हैं जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है यदि अभी भी इस दिशा पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठनों ने गम्भीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में इन संगठनों से जुड़े चिकित्सकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है जिस प्रकार से भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति रवैया अपनाये हुए है वह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को शीघ्र ही विनियमित करना चाहती है तभी तो भारत सरकार एक के बाद एक अवसर प्रदान कर रही है सरकार के पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित सारी जानकारियां हैं और वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गुणवत्ता व उपादेयता से भी संतुष्टि है परन्तु सरकार यह नहीं चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जितने संगठनों की भीड़ है उस भीड़ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहीं गुम न हो जावे इसलिए अवसर पर अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। हमारे साथी गण हैं जो कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं उनका मानना है कि जो कुछ भी वह कह रहे हैं या कर रहे हैं वही सत्य है उनका यह हठ उनको तो हानि पहुँचायेगा ही साथ साथ उन बेकुसूर चिकित्सकों का नुकसान हो जायेगा जो उनके बहकावे में आकर कार्य करेंगे।

हमको अपनों से ही जूझना पड़ रहा है

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन ज्यों ज्यों अपने चरम पर पहुँचता जा रहा है त्यों त्यों इस आन्दोलन में नई नई विसंगतियां भी जन्म लेती जा रही हैं। विसंगतियों का जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं होती है क्योंकि यह विसंगतियां हमें अवसर प्रदान करती हैं कि हमारे आस पास जो भी कमजोरी या गन्दगी हो हम उसका समय रहते निराकरण कर लें। आज की स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी बिल्कुल सीधे सादे अन्दाज में पूरे देश में संचालित हो रही है काम करने के अवसर भी हैं और आगे बढ़ने व सरकारी संरक्षण के धीरे धीरे पूरे अवसर भी पैदा हो रहे हैं परन्तु हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं या उनकी यह इच्छा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कुछ भी हो उसका श्रेय उन्हें ही प्राप्त हो अस्तु हमारे ऐसे साथियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन की दिशा ही बदल कर रख दी। जो आन्दोलन एक सही गति के साथ सकारात्मक उद्देश्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहा था उसमें अनावश्यक तेजी लाने का प्रयास किया गया कोई कार्य तेजी से हो अच्छी बात है लेकिन तेज चलने के पहले हमें अपने आस पास के वातावरण को देख लेना पड़ता है क्योंकि गति बढ़ाने से ही कार्य नहीं बनता है, कार्य बनता है कार्य की पारदर्शिता व दूरदर्शिता से।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसा विषय है जिसपर कदम कदम पर गम्भीरता से चिन्तन करना होता है एक गलत निर्णय हमें पीछे ले जाने में तनिक भी नहीं झिझकता है। अतीत से लेकर वर्तमान तक के इलेक्ट्रो होम्योपैथी आन्दोलन पर यदि हम दृष्टिपात करें तो जो परिणाम सामने उभर कर आते हैं वह सकारात्मक ही होते हैं इसके पीछे कारण यह है कि भूत में जो भी आन्दोलन किये गये उनका लक्ष्य बहुत न्यून था क्योंकि हम यह जानते हैं कि इन 50 वर्षों में परिस्थितियों में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आया है।

जो पद्धतियां गैर मान्यता प्राप्त थीं उनमें से कुछ पद्धतियों को मान्यता तथा कुछ का विनियमतीकरण हो चुका है अब प्रश्न यह उठता है कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पुरातनता के बारे में कोई संदेह नहीं है तो फिर इस चिकित्सा पद्धति को वह स्थान क्यों नहीं मिल सका ! जो उसे मिलना चाहिये आत्म सन्तुष्टि के लिए हम कुछ भी उत्तर ले लें लेकिन वास्तविकता किसी से छिपी नहीं है।

घटकों में बंटा होना हमारे लिए उतना घातक सिद्ध नहीं हो रहा है जितना घातक हमारी कार्यप्रणाली है यह लोकतन्त्र है और लोकतन्त्र में सबको काम करने का अधिकार है परन्तु जब अधिकारों का गलत अर्थ निकाला जाने लगता है तो परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं।

आज ऊपरी दिखावे में तो सब लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में लगे हैं और हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके हित कितने सफल हो रहे हैं ?यह भी दर्पण की तरह झूठ नहीं बोलते ! आज स्थिति यह है कि इस स्थायित्व की तुलना में भटकाव के दर्शन ज्यादा हो रहे हैं और उन लोगों का बोलबाला ज्यादा ही होता जा रहा है जो चमत्कारों में विश्वास करते हैं। चमत्कार कभी कभी होते हैं, सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए गाईड लाइन पहले ही जारी की जा चुकी है और सरकार इस बात का बार बार आश्वासन और अवसर भी दे रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विनियमितीकरण किया जायेगा। यह सत्य है कि आश्वासनों के सहारे काम नहीं चलता अपितु कुछ पाने के लिए हमें कार्य करना होता है और कार्य करके ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होती है। जब हमारी चिकित्सा पद्धति उपयोगी है तो उसे जन स्वीकारिता मिलनी ही मिलनी है और यही जन स्वीकारिता ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की राह भी प्रशस्त करती है हमें प्रतीक्षा करनी होगी परन्तु कुछ लोगों का कहना है कि आखिर प्रतीक्षा कब तक ! इसका उत्तर उन सभी के पास है जिन्होंने वर्ष 2003 की गतिविधि देखी है। 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के प्रकरण में जो रुख अपनाया था और जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए आदेश जारी किया था तब पूरे देश में एक अघोषित बन्दी की स्थिति आ गयी थी, किसी भी संगठन को कोई राह नहीं सूझ रही थी और सब यही कह रहे थे अब शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अवसर न प्राप्त हो।

किसे पता था कि वर्ष 2010 व वर्ष 2011 इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए निर्णायक साबित होंगे।

वर्ष 2010 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए भारत सरकार का स्पष्टीकरण और 21 जून, 2011 को सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की अनुशंसा इस बात को बल देती है कि प्रतीक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए प्रतीक्षा से मुँह नहीं मोड़ना चाहिये जो कुछ भी हो रहा है उसे सावधानीपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, क्योंकि 2003 और 2017 में अन्तर तो केवल 14 वर्षों का है लेकिन नेतृत्व में जो अन्तर देखने को मिलता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती युवा और नये लोगों को आना चाहिये उनकी सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर लाभ लेना चाहिये परन्तु जब युवा दिशा भ्रमित हो जाये तो दिशा देने का प्रयास हो और दिशा ज्यादा ही बदल रही हो तो आगे बढ़कर निर्णायक निर्णय लेने चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो भी नुकसान हो रहा है उसके पीछे कोई बाहरी नहीं है सब अपने हैं और इन्हीं अपनों में अपना पन दिखायी नहीं पड़ता।

धीरे धीरे यह खाई बहुत गहरी होती जा रही है जो कोई अच्छे भविष्य के संकेत नहीं दे रही है 28 फरवरी, 2017 का नोटिफिकेशन यह बता रहा है कि अब प्रतीक्षा के दिन समाप्त हो रहे हैं परन्तु इस नोटिफिकेशन को लेकर जो हड़बड़ी या जल्दबाजी दिखायी गयी उसके परिणाम चन्द दिनों में ही सामने आ गये उस नोटिस पर क्या लिखा है और सरकार क्या चाहती है?यह शायद हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं या फिर पहले हम पहले हम की होड़ में कार्य कर रहे हैं। 28 फरवरी के नोटिफिकेशन ने सरकार ने कहीं भी मान्यता देने से सम्बन्धित बात नहीं कही है बल्कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज्म की बात कही गयी है मैकेनिज्म एक तरह से मान्यता से वांछित जानकारियों का एकत्रीकरण है, इन दी हुई जानकारी के आधार पर ही सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संरक्षण की दिशा तय करना चाहती है।

हमारे साथियों ने सम्पूर्ण नोटिस को न तो ध्यान से पढ़ा और न ही उनकी बारीकियों को समझने का प्रयास किया। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा विधा है और किसी भी चिकित्सा विधा के दो ही अंग महत्वपूर्ण होते हैं।

प्रथम इस चिकित्सा विधा में क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है तथा उसकी अवधि कितनी है यह इसलिए जानना चाहती है क्योंकि एक सम्पूर्ण चिकित्सक के लिए यह आवश्यक होता है कि वह शरीर से सम्बन्धित सारी जानकारियां प्राप्त करे तथा सरकार यह भी जानना चाहती है कि इन जानकारियों को कितनी अवधि में छात्र को प्रदान की जा रही है।

दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है कि विधा की औषधियां कितनी लाभकारी हैं और शरीर पर उनका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव है। अगर यह जानकारियां हमारे साथी सरकार को व्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराते तो वह स्थिति नहीं बनती जो 13 जून, 2017 को भारत सरकार द्वारा जारी पत्र के बाद बनी है।

13 जून, 2017 का पत्र एक तरह से उन लोगों के लिए चेतावनी है जिन्होंने मार्च के महीने में प्रपोजल सरकार को प्रेषित किये। कोई माने या न माने पर यह सत्य है कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बार बार अवसर प्रदान कर रही है और हम हैं कि जो हर बार अवसर हाथ से गंवा देते हैं। अवसर गंवाने के पीछे व्यक्तिगत हित है यदि हमारे साथ व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कार्य करें तो शायद स्थिति कुछ और ही होती।

कहने को तो सारे देश में जितने भी संगठन चल रहे हैं वह ऊपरी तौर पर तो एकता और सबके विकास की बात करते हैं परन्तु अन्दर कुछ और ही होता है, दिखावे में मीटिंगें बुलाई जाती हैं लोगों को बात कहने का अवसर दिया जाता है कमेटियां बनायी जाती हैं परन्तु किया वही जाता है जो कुछ लोग पहले से ही तय कर लेते हैं। यह स्थिति किसी एक आदि संगठन की नहीं है अपितु यह भेड़चाल बन गयी है अपनों को अपनों से ही धोखा मिल रहा है सामने कोई और किया जाता है दिखाया कोई और जाता है अधिकारिक तौर पर कोई और होता है यह सारी की सारी बातें किसी भी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित करती नहीं दिख रही हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय बहुत है इसलिए हर बिन्दु पर गम्भीरता से विचार करके ही कार्य करना होगा बहुत मोटी प्रपत्रों की गड्डी मान्यता दिला देगी यह सम्भव नहीं है। हजार या दो हजार पृष्ठों को पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिये जब बहुत सारे प्रपत्रों को देने की बात कही जाती है तो हमें याद आता है हमारे एक वरिष्ठ साथी जब सुप्रीमकोर्ट में मुकदमा लड़ते थे तो 200-300 पृष्ठों की

रिटें बनवाते थे पर उनके जो परिणाम आते थे वह कोई सुखद नहीं होते थे कहने का तात्पर्य जब ज्यादा कहा जायेगा तो यथार्थ से भिन्न कहा जायेगा इसलिए कम और सटीक ही कहें ताकि जब हमारे प्रपोजलों की समीक्षा की जाये तो उनकी वह हालत न हो जो अभी मार्च में भेजे गये 7 प्रपोजलों की हुई है निराशा जैसी बात अभी भी नहीं है रास्ते खुले हैं सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला करना चाहती है इसलिए जनहित में इस बिन्दु पर बार बार विवेचना कर रही है।

जहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों की उपयोगिता की बात है, तब इस पर बड़ी बड़ी बात नहीं करनी है सीधा सपाट सा जवाब है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अनुरूप ही बनायी जाती हैं और उनके गुण और दोष कई बार प्रमाणित हो चुके हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास व प्रसार का जो विषय है वह सर्वविदित है जो चिकित्सा पद्धति डेढ़ सौ वर्षों से प्रचलन में है उसके बारे में कोई प्रश्नचिन्ह लगाया ही नहीं जा सकता है हमारे सभी साथी बुद्धिमान व ज्ञानी हैं इस अवसर पर अपने ज्ञान व बुद्धि का प्रयोग करते हुए विवेक के साथ आगे बढ़ें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सम्मानजनक स्थान दिलायें।

विजय की लय बनाये रखनी होगी – डा0 इदरीसी

किसी भी विषय का ज्ञान तभी ठीक से प्रसारित होता है जब उस विषय की शिक्षण व्यवस्था गुणवत्तायुक्त पारदर्शी हो। समय के साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुये ही गुणवत्तायुक्त व्यवस्था की बात की जा सकती है, सम्पूर्ण भारत वर्ष में विभिन्न संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं परन्तु पिछले कुछ दिनों से निरन्तर यह देखा जा रहा है कि प्रति क्षण हो रहे शोधों के कारण बहुत सारी नवीन जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं एवं हमारे शिक्षार्थियों को यदि प्रतिस्पर्धा में रहना है तो उसके पास नवीनतम जानकारियों का होना अति आवश्यक है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ सिद्धान्तों और व्यवहार में नित्य नूतन परिवर्तन होते रहते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के कारण विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम प्रायः परिवर्तित होते रहते हैं। अभियान्त्रिकी और चिकित्सा यह दोनों ऐसे विषय हैं जो सीधे मानव जीवन से जुड़े होते हैं और मनुष्य एक ऐसा प्राणी होता है जो सदा नवीनता की तलाश में रहता है, इस क्रम में हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े शोध संस्थान हैं वहाँ पर निरन्तर विषय विशेषज्ञ व अनुसन्धानकर्ता नवीनता की खोज में लगे रहते हैं जिससे कि मानव जीवन का कल्याण हो सके, यही नवीन शोध पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों के पास तक पहुँचते हैं और इस ज्ञान को ग्रहण कर के हमारे यह शिक्षा के वाहक समाज के लिये कल्याणकारी कार्य करते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षण व्यवस्था गुरु शिष्य प्रणाली से आगे बढ़ती हुयी डिप्लोमा स्तर तक पहुँची परन्तु आज चिकित्सा विज्ञान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है हर चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक पाठ्यक्रमों के माध्यम से नवीनतम से नवीनतम ज्ञान अर्जित कर समाज में खड़े हैं, इसलिये यह आवश्यक हो गया था कि पिछले कई वर्षों से जो पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे थे उनमें परिवर्तन किया जाये, नवीनतम विषयों के साथ नवीनतम जानकारियाँ भी प्रदान की जायें जिससे कि जो छात्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आगमन कर रहे हैं या ऐसे छात्र जो आगमन में नवप्रवेशार्थी बनकर आगे आयेंगे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे जिससे कि उनके मन में किसी भी तरह की कुण्ठा न रहे।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इस विषय में पहल की और एक उच्च स्तरीय कोर्स लेकर सामने आया और अपने से सम्बन्धित संस्थानों में इसे लागू भी किया। कोर्स बनाना, उसे लागू करना एक पक्ष है परन्तु इस कोर्स को व्यवस्थित ढंग से छात्रों तक पहुँचाना दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष है जो इस कार्य को पूर्ण रूप देता है यह कार्य विद्यालयों द्वारा ही सम्पन्न है, इस कार्य को ठीक से संचालित किया जाये इसलिये बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने जिलवार व्यवस्था की है प्रथम स्तर में योग्य अध्यापकों की भर्ती व न्यूनतम पाँच वर्षीय अवधि वाली योग्यता धारी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व जानकारी देना, दूसरा

शेष पेज 5 पर

विजय दिवस के अवसर पर डा0 एम0 एच0 इदरीसी के साथ डा0 अतीक अहमद एवं डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई – छाया गजट

विजय दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन करते हुये डा0 डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा, डा0 प्रमोद शंकर बाजपेई एवं डा0 अतीक अहमद – सभी फोटो गजट

विजय की लय बनाये रखनी होगी — पेज 4 से आगे

स्तर— विद्यालय में पैथोलॉजी व पुस्तकालय की सम्यक व्यवस्था, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तर— हर विद्यालय में निश्चित रुप से चिकित्सालय संचालित होना चाहिये इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 तत्परता के साथ इन्टर्नशिप किसी पी0 एच0 सी0 या सी0 एच0 सी0 में कराने हेतु प्रतिबद्ध है जिससे कि हमारे चिकित्सकों को सैद्धान्तिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके।

बोर्ड द्वारा सम्बद्ध सभी शिक्षण संस्थान इस दिशा में तैयार हो चुके हैं और गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था के लिये प्रतिबद्ध हैं।

निरन्तर सरकार की गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि समय रहते इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थान अपनी व्यवस्थायें दुरुस्त कर लें जिससे कि जो भविष्य में मिलने वाला लाभ है उससे कोई वंचित न रह जावे। हमें खेद है कि प्रदेश में अभी भी कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो मनमाने ढंग से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को संचालित कर रहे हैं उन्हें यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के क्षेत्र में रहना है तो अपने अपने कोर्सों को अपडेट करें, आने वाले समय में 4+1 से कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों की कोई उपयोगिता नहीं रह पावेगी। बैचलर/ मास्टर शब्द प्रतिबन्धित है इसलिये इस शब्द के प्रयोग पर भी चिन्तन होना चाहिये क्योंकि आज नहीं तो आने वाले कल में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को शासकीय संरक्षण मिलना ही मिलना है, व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर कार्य हों क्योंकि किसी भी छात्र का इसलिये नुकसान नहीं होना चाहिये कि उसने पूर्ण अवधि के पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं ली।

1 में डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा 2 में डा0 प्रमोद किर बाजपेई एवं 3 में डा0 अतीक अहमद डा0 मैटी को माल्यापर्ण करते— छाया गजट

चित्र न0 4 मऊ में कार्यक्रम की एक झलक 5 न0 महाराजगंज में विजय दिवस पर जलूस, न0—6 तहसील नौतनवा में ज्ञापन देते छात्र — सभी फोटो गजट